न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत,** आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 52/2024

वादीगण :–

1. आरब खां पुत्र दाउद खां
2. उम्मेद अली पुत्र सुल्तान खां
3. मुराद खां पुत्र सुल्तान खां
4. माडू पत्नी जीवण खां
5. नजू पुत्री जीवण खां
6. खातून पुत्री जीवण खां
7. अल्लानूर खां पुत्र जीवण खां
8. हाजी खां पुत्र जीवण खां
9. इस्माईल खां पुत्र जीवण खां
10. अजरूदीन पुत्र स्व. रजाक खां
11. माडू पत्नी स्व.रजाक खां
12. रूकसाना पुत्री स्व.रजाक खां
13. मोहम्मद सरीफ पुत्र स्व. रजाक खां
14. इरफान खाां पुत्र रजाक खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण रईया नगर, बोयल तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. फकीर खां पुत्र जीवण खां
2. सदीक खां पुत्र जीवण खां
3. हवा पुत्री जीवण खां
4. हंसा पुत्री जीवण खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सायरपुरा (कापरडा) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादीगण – श्री भागीरथ सिंह सोढा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 4 – श्री खुशेन्द्र गोयल एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 09/12/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सायरपुरा (कापरड़ा) में आई हुई है जिसके खसरा सं. 103 रकबा 3.8670 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को आगे के फिकरों में वादग्रस्तभूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वर्णित कृषि भूमि को सुल्तान खां पुत्र बदू खां जी, आरब खां पुत्र दावद खां, जीवण खां पुत्र गेन्दू खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासीगण रईया नगर, बोयल वालों ने श्री माधोसिंह पुत्र भैरूसिंहजी राजपूत निवासी कापरड़ा वालों से दिनांक 31–03–1972 को खरीद कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलाड़ा से बैचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी। उक्त वादग्रस्त जमीन के पड़ौस बैचान रजिस्ट्री में अंकित है जो निम्न प्रकार है उतर में मिसराराम जाजड़ा की जमीन है। दक्षिण में रू सुमान खां सिंधी का नवोड़ा। पूरब मेंरू पीपाड़ का रास्ता है। पश्चिम में मेराव बेरा दाउद खां महमद खां का है। उक्त कृषि भूमि जो खसरा सं. 103 जिसका क्षेत्रफल 23 बीघा 18 बिस्वा है। उक्त जमीन खरीद कर कब्जा उसी दिन प्राप्त कर लिया। तब से वादीगण व उसके पूर्वज जीवण खां का देहान्त हो गया एवं उक्त जीवण खां के उतराधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण पत्नी माहू, पुत्री नजू पुत्री खातून, पुत्र अल्लाबूर खां, पुत्र हाजी खां, इस्माईल खां पुत्र जीवण खां, अजरूद्दीन पुत्र स्व. रजाक खां (फौत रजाक खां पुत्र जीवण खां दादा), माहू पत्नी स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां, रुकसाना पुत्री स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां, मोहम्मद सरीफ पुत्र स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां मौजूद है। वादीगण जीवण खां के पिताजी का नाम गेन्दू खां व गेन्दू खां के पिता का नाम भीर खां है व प्रतिवादीगण के पिता जीवण खां के पिता का नाम गेन्दू खां व गेन्दू के पिता का नाम अमु खां है। इसी खसरा संख्या में खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 भी है एवं उनके नाम भी प्रतिवादी जीवन खां व उसके पिता का भी गेन्दू खां है एवं सामान्य नाम पिता का व पिता के पिता का नाम एक होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा उचित जांच के बजाय उक्त कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम नामान्तरकरण जीवन खां की जगह अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त वादीगण के पूर्वज पिता जीवण खां का देहान्त दिनांक 03-12-2011 को हो गया। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज पुत्र-पुत्री है जिनके नाम से नामान्तरकरण 18-07-2022 का भरा गया है। प्रतिलिपि साथ में संलग्न है। पैरा सं. 2 में वादीगण की वल्दियत अंकित है एवं वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को माधोसिंहजी से दिनांक 31-03-1972 को खरीद कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलाड़ा से पंजीबद्ध करवाया। जबकि प्रतिवादीगण की कृषि भूमि वादीगण की खरीद के पहले से ही मौजुद है। वादीगण का नाम प्रतिवादी सं. 1 से 4 की जगह अंकित नामान्तरकरण करना था, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व दादा का नाम मिलने के कारण अर्थात् दोनों पक्षों के पिता व दादा का नाम एकसा होने से नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के नाम से भर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण व गलत म्यूटेशन भरा गया। जिसे सुधरवाने के वादीगण अधिकारी है एवं नकल जमाबन्दी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, जिसमें फकीर खां, सदीक खां, हंसा व हवा का नाम रेकर्ड से हटाया जाकर उनकी जगह पर वादीगण का नाम व हिस्सा अंकित करने का आदेश प्रदान करावे। वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में सद्भाविक भूल व पक्षकारान के पिता वादा का नाम एकसा मिलने के कारण व एक ही खसरा नम्बर के खातेदार काश्तकार होने के कारण उक्त रेकर्ड दूरस्त करवाया जाना आवश्यक है। इसलिये रेकर्ड दूरस्ती की घोषणा करवायें बिना रेकर्ड को दूरस्त नहीं किया जा सकता। वाद कारण दिनांक 03-05-2024 को उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम खातेदारी में नहीं आया है, एवं उनकी जगह प्रतिवादीगण का नाम गलत अंकित हो गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ चलकर रेकर्ड दूरस्त करवाने को तैयार नहीं होने से वादीगण को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है।

अन्त में निवेदन है कि वादीगण के नाम एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के नाम से जो नामान्तरकरण में गलत अंकन हो चुका है, से हटवाया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाकर एवं वादीगण के नाम से खातेदारी अधिकार घोषित किया जावे व रेकर्ड दूरस्त किया जावे। बाद घोषणा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी न तो स्वयं करें और न ही अन्य से करावे। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से 4 से दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादीगण के पक्ष में दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर श्री खुशेन्द्र गोयल अधिवक्ता

द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 का जवाब का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व उनकी कृषि भूमि सायरपुरा (कापरड़ा) में आई हुई है जिसके खसरा सं. 103 रकबा 3.8670 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को सुल्तान खां पुत्र बदू खां जी, आरब खां पुत्र दावद खां, जीवण खां पुत्र गेन्दू खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासीगण रईया नगर, बोयल वालों ने श्री माधोसिंह पुत्र भैरूसिंहजी राजपूत निवासी कापरड़ा वालों से दिनांक 31-03-1972 को खरीद कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलाड़ा से बैचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी। उक्त वादग्रस्त जमीन के पड़ौस बैचान रजिस्ट्री में अंकित है जो निम्न प्रकार है उतर में मिसराराम जाजड़ा की जमीन है। दक्षिण में सुमान खां सिंधी का नवोड़ा। पूरब मेंरू पीपाड़ का रास्ता है। पश्चिम में मेराव बेरा दाउद खां महमद खां का है। उक्त कृषि भूमि जो खसरा सं. 103 जिसका क्षेत्रफल 23 बीघा 18 बिस्वा है। उक्त जमीन खरीद कर कब्जा उसी दिन प्राप्त कर लिया। तब से वादीगण व उसके पूर्वज जीवण खां का देहान्त हो गया एवं उक्त जीवण खां के उतराधिकारी वादीगण पत्नी माडू पुत्री नजू, पुत्री खातून, पुत्र अल्लानूर खां, पुत्र हाजी खां, इस्माईल खां पुत्र जीवण खां, अजरूदीन पुत्र स्व. रजाक खां (फौत रजाक खां पुत्र जीवण खां दादा), माडू पत्नी स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां, रुकसाना पुत्री स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां, मोहम्मद सरीफ पुत्र स्व. रजाक खां पुत्र जीवण खां मौजूद है। वादीगण जीवण खां के पिताजी का नाम गेन्दू खां व गेन्दू खां के पिता का नाम मीर खां है व प्रतिवादीगण के पिता जीवण खां के पिता का नाम गेन्दू खां व गेन्दू के पिता का नाम अमु खां है। इसी खसरा संख्या में खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 भी है एवं उनके नाम भी प्रतिवादी जीवन खां व उसके पिता का भी गेन्दू खां है एवं सामान्य नाम पिता का व पिता के पिता का नाम एक होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा उचित जांच के बजाय उक्त कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम नामान्तरकरण जीवन खां की जगह अंकित कर दिया गया। जबकि उक्त वादीगण के पूर्वज पिता जीवण खां का देहान्त दिनांक 03-12-2011 को हो गया। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज पुत्र-पुत्री है जिनके नाम से नामान्तरकरण 18-07-2022 का भरा गया है। पैरा सं. 2 में वादीगण की वल्दियत अंकित है एवं वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को माधोसिंहजी से दिनांक 31-03-1972 को खरीद कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलाड़ा से पंजीबद्ध करवाया। जबकि प्रतिवादीगण की कृषि भूमि वादीगण की खरीद के पहले से ही मौजुद है। वादीगण का नाम प्रतिवादी सं. 1 से 4 की जगह अंकित नामान्तरकरण करना था, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व दादा का नाम मिलने के कारण अर्थात् दोनों पक्षों के पिता व दादा का नाम एकसा होने से नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के नाम से भर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण व गलत म्यूटेशन भरा गया। जिसे सुधरवाने के वादीगण अधिकारी है एवं नकल जमाबन्दी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, जिसमें फकीर खां, सदीक खां, हंसा व हवा का नाम रेकर्ड से हटाया जाकर उनकी जगह पर वादीगण का नाम व हिस्सा अंकित करने का आदेश प्रदान करावे। वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में सद्भाविक मूल व पक्षकारान के पिता दादा का नाम एकसा मिलने के कारण व एक ही खसरा नम्बर के खातेदार काश्तकार होने के कारण उक्त रेकर्ड दूरस्त करवाया जाना आवश्यक है। इसलिये रेकर्ड दूरस्ती की घोषणा करवाये बिना रेकर्ड को दूरस्त नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी सं. 5 भूमिधारी होने एवं राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती करने हेतु अधिकृत है। जिस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। सरकार के विरूद्ध कोई

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रार्थना नहीं चाही गई है। जिस कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वादीगण सरकार को नोटिस दे दिया है।

अतः जबाव दावा मय राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। जिसे कि दोनों पक्षकारो के बीच में भूमि के संबंध में जो गलत म्यूटेशन भरा गया है। को शुद्ध किया जा सके।

प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पेरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सायरपुरा की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 41 में खसरा सं. 103 रकबा 3.8670 दर्ज है। ग्राम कापरडा के नामान्तरकरण सं. 193 दिनांक 10.10.1972 द्वारा खसरा सं. 103 रकबा 23 बीघा 18 बीघा सम्पूर्ण का माधोसिंह पि. भैरूसिंह द्वारा बेचान करने से सुल्तानखां पुत्र बदुखां, आरबा खां पुत्र दावतखां जीवणखां पुत्र गेन्दुखां कौम मुसलमान सिन्धी सा. बोयल खातेदार दर्ज हुआ। वादी सं. 1 (आरबाखां) तथा खरीददार अकबर खां के नाम में भिन्नता है ग्राम सायरपुरा की जमाबंदी संवत् 2067-70 के खाता सं. 44 खसरा सं. 103 रकबा 23 बीघा 18 में सुल्तानखां पुत्र बदुरखां आरबखां पुत्र दाउदखां, जीवणखां पुत्र गेन्दुखा दर्ज है। नामा.सं. 76 दिनांक 18.7.2022 से जीवणखां पुत्र गेन्दुखां के स्थान पर फकीरखां, सदीकखां पुत्र जीवणखां हवा, हंसा पुत्रीयां जीवणखां दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के हस्तगत प्रकरण में फार्म नं. 3 के साथ संलग्न रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 31.03.1972 के अनुसार खसरा नंबर 103 का विक्रेता माधोसिंह पुत्र भेरूसिंह राजपूत निवासी कापरडा द्वारा क्रेता सुल्तान खां पुत्र बदुखां, आरब खां पुत्र दावद खां व जीवण खां पुत्र गेंदूंखां के पक्ष में निष्पादित किया। तहसीलदार बिलाडा के साथ प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के खाता सं. 41 के खसरा नंबर 103 रकबा 3.8670 हैक्टयर भूमि के खातेदार अकबर खां पुत्र दाउद खां हि. 1/3, जाति सिन्धी, उम्मेद अली पुत्र सुल्तान खां, फकीर खां पुत्र जीवण खां, मुराद खां सुल्तान खां, सदीक खां पुत्र जीवण , हवां पुत्री जीवण खां, हंसा पुत्री जीवण खां के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2067-70 के खाता सं. 44 के खसरा सं. 103 रकबा 23.18 बीघा भूमि के खातेदार सुल्तान खां पुत्र बदुर खां, अकबर खां पि. दाउद खां, जीवण खां पि. गेन्दू खां जाति सिन्धी के नाम से दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 76 जरिये विरासत से जीवण खां पुत्र गेन्दु खां फौत होने से इनके स्थान पर फकीर खां पुत्र जीवण खां हि. 1/2 सदीक खां पुत्र जीवण खां हि. 1/12, हवा पुत्री जीवण खां हि. 1/12 व हंसा पुत्री जीवण खां हि. 1/12 दर्ज हुआ जो गलत प्रविष्टि है। जबकि खसरा स. 103 रकबा 23.18 बीघा भूमि के जीवण खां पुत्र गेन्दु खां पुत्र मीर खां के जायज वारिसानों का सजरा पटवारी रिपोर्ट में संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट में वर्णित वंशावली में दर्शाया अनुसार जीवण खां फौत होने पर खसरा नंबर 103 रकबा 23.18 बीघा भूमि में दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादीगण फकीर खां के पिता व दादा का नाम एक समान होने के कारण उक्त वंशावली में वर्णित वारिसानों के स्थान पर फरीर खां पुत्र जीवण खां, सदीक खां पुत्र जीवण खां, हवा पुत्री जीवण खां व हंसा पुत्री जीवण खां दर्ज हो गया जो गलत है। अतः ग्राम सायपुरा पटवार मण्डल कापरडा के वादग्रस्त खसरा सं. 103 रकबा 23.18 बीघा भूमि में स्वीकृत शुदा नामान्तरकरण सं. 76 में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अंकित क्र.स. 1 से 4 व जमाबंदी में अंकित क्र.सं. 3, 5, 6, 7 को दुरुस्त कर इनके स्थान पर नयी प्रविष्टि जो वारिसान सजरा में उपर वर्णित है किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। खातेदार जीवण खां पुत्र गेंदुखां के फौत होने पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया किन्तु जीवण खां पुत्र गेंन्दुखा नाम के दो व्यक्ति होने से तत्कालिन पटवारी द्वारा भूलवश वारिसानों की जांच किये बगैर ही समान नाम वाले दूसरे व्यक्ति के वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये। प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान किये जाने व हल्का पटवारी द्वारा सहमति प्रदान किये जाने से वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण को ग्राम सायरपुरा तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 103 रकबा 23.18 बीघा में खातेदार जीवण खां पुत्र गेन्दु खां पुत्र मीर खां के वारिसानों की जांच कर जांच उपरान्त नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। तथा फौतदगी नामान्तरकरण सं. 76 दिनांक 18.07.2022 को वादीगण के हित तक निरस्त फरमाया जाये। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 9/1/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- आरब खां

बनाम

प्रतिवादीगण :- फकीर खां वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 52/2024

निर्णय **दिनांक :-** 01/12/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से श्री खुशेन्द्र सिंह गोयल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण को ग्राम सायरपुरा तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 103 रकबा 23.18 बीघा में खातेदार जीवण खां पुत्र गेन्दु खां पुत्र मीर खां के वारिसानों की जांच कर जांच उपरान्त नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। तथा फौतदगी नामान्तरकरण सं. 76 दिनांक 18.07.2022 को वादीगण के हित तक निरस्त फरमाया जाये। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा